# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/112/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/202

| **अपीलार्थी** | **बनाम** | **प्रत्यर्थी** |
| --- | --- | --- |
| श्री विनीत कुमार गर्ग पुत्र श्री हरिराम अग्रवाल, नि0 किले के पास, पो. मालाखेडा–301406 | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर) |

**प्रवेश तिथि :: 16.08.2022**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

## निर्णय

**दिनांकः 27.09.2022**

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 06.07.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी कार्यालय से तहसीलदार मालाखेडा के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत प्रा0पत्र दिनांकः 15.06.22 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत सत्य प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 1186 दिनांकः 06.09.2022 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांकः 06.07.2022 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में वर्णित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत होने उपरान्त, उनके पत्रांकः 1461 दिनांकः 01.09.22 के माध्यम से सूचित किया गया है जो उचित नहीं है।
7. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अभिलेख पर संधारित अभिलेखानुसार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 27.09.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकितकिया गया।

(वन्दना खोरवाल)

अपीलीय अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)

अलवर (राज.)